

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक:- एफ 1(7)(23) डीपीसी/सान्याअवि/2021/पार्ट-II/ 62763 जयपुर, दिनांक:- 12-11-2021

:- कार्यालय आदेश :-

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 18.06.2015 के अनुसार वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध श्री रूहैल अहमद, कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया, लेकिन श्री अहमद के विरुद्ध सीसीए-16 के अन्तर्गत आरोप पत्र क्रमांक 3807 दिनांक 11.11.2010 विचाराधीन होने के कारण चयन सील कवर किया गया था।

श्री रूहैल अहमद के विरुद्ध सीसीए-16 के अन्तर्गत उक्त आरोप पत्र क्रमांक 3807 दिनांक 11.11.2010 को निर्णय आदेश एफ 1(5)(207)(8)जांच/सान्याअवि/20/1438 दिनांक 01.09.2021 द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं होने के आधार पर प्रकरण समाप्त किये जाने के फलस्वरूप पदोन्नति हेतु चयन सील कवर लिफाफा खोला जाकर श्री अहमद को वर्ष 2014-15 की रिक्ति के विरुद्ध दिनांक 01.04.2014 से कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है।

श्री अहमद वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे। इनको पदोन्नति दिनांक से कार्यभार ग्रहण दिनांक तक काल्पनिक लाभ तथा कार्यभार ग्रहण दिनांक से वास्तविक वित्तीय लाभ देय होंगे।

(ओपीओ बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 1(7)(23)डीपीसी/सान्याअवि/2021/पार्ट-II/ 62764-73 जयपुर, दिनांक:- 12.11.2021  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योजन, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक(सत0 एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
4. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर।
5. प्रभारी, संस्थापन प्रशाखा (पी.-3)/जांच प्रशाखा, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सिस्टम एन्डिस्ट (उप निदेशक) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. संबंधित श्री रूहैल अहमद, .....
7. व्यक्तिगत पत्रावली श्री अहमद।
8. कार्यालय पत्रावली।

(उम्मेद सिंह)

अतिरिक्त निदेशक(सत0 एवं प्रशा0)